न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 28/2019 (2019/00155) दर्ज दिनांक 28.08.2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

1. सुरजमल पिता गोपीला पूर्बिया निवासी दियारा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रार्थी

बनाम

1. नानुड़ी पत्नि हजारी पूर्बिया निवासी दियारा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी: श्री महेश दाधीच
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–21.08.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दियारा पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1072 रकबा 0.33 हे0 किस्म चाही, 1073/1224 रकबा 0.03 हे0 किस्म चाही, 1075/1 रकबा 0.0475 हे0 किस्म चाही ॥ कुल किता 3 कुल रकबा 0.4075 हे0 भूमि स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 पेश है।

इसी प्रकार प्रार्थी की आराजी संख्या 1073/1224 रकबा 0.03 हे0, 1075/1 रकबा 0.0475 हे0 से लगी हुई विपक्षी संख्या एक के खातेदारी की आराजी संख्या 1074 रकबा 0.33 हे0 भूमि स्थित है।

यह कि प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1073/1224 रकबा 0.03 हे0, 1075/1 रकबा 0.0475 हे0 में आवागमन के लिये पूर्व दिशा में स्थित आम रास्ता आराजी संख्या 1090 में हो करके विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 1074 की दक्षिणी मेड़ से होकर आगे इसी आराजी की पश्चिमी मेड पर घुम करके आराजी संख्या 1073/1224 रकबा 0.03 हे0 व 1075 रकबा 0.0475 हे0 में संज बैल सहित आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थी की आराजियात में आवागमन करने का सबसे सुगम व नजदीकी रास्ता विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 1074 में ही स्थित है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर स्थित नहीं है। आराजी संख्या 1074 से आवागमन का रास्ता दिलाने पर आराजी संख्या 1072 व 1075/1 में भी आवागमन का रास्ता मिल जायेगा जिससे आराजी संख्या 1074 से रास्ता दिलाना न्यायोचित है तथा उक्त रास्ता दिलाया जाने से सभी आराजियात में आवागमन किया जा सकेगा। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थी की आराजी मे आवागमन के लिए सबसे नजदीकी व सुगम रास्ता विपक्षी संख्या एक आराजियात में ही है, अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जिससे विपक्षीगण की आराजियात 1074 में से 10 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है रास्ता सबसे कम दूरी का व सबसे सुविधाजनक रास्ता है जिससे प्रार्थी उक्त आराजी में से रास्ते की मांग कर रहा हैं व उक्त रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज हो जायेगा जिससे दिगर खातेदारों को भी सुविधा हो जायेगी। इसके अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि ग्राम दियास पटवार हल्का सातलियास की आराजी संख्या 1072, 1073 / 1224,1075 / 1 में आवागमन करने के लिऐ विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 1074 की दक्षिणी व पूर्वि मेड पर 10 फीट चौडा रास्ता दिलाया जावे व नक्शें में रास्ता फीट करके बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 09.12.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसार :–

–यह कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी नं0 1074 रकबा 0.33 हे0 भूमि में वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।

– यह कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है।

–यह कि मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है।

– यह कि वर्तमान में वादी के बताये अनुसार पड़ौसी आराजी नं0 1073 में होकर आवागमन कर रहा है।

– यह कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी नं0 1074 में से 10 फीट अर्थात 3 मीटर चौडा एवं 75 मीटर लम्बा जिसका रकबा 0.0225 हे0 (225 वर्गमीटर) बनता है। ग्राम दियास की सिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 303554 /– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.0225 हे0 की मालियत 6830 /– रूपये होती है तथा इसकी दुगुनी राशि 13660 /– रूपये होती है।

–यह कि वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर नहीं है, पड़ौसी आराजी नं0 1073 से होकर स्वयं की आराजी नं0 1072 में जाना बताया एवं चाहा गया जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

– यह कि मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना पाया गया, प्रार्थी बिलानाम रास्ता आराजी नं0 1090 से होकर आराजी नं0 1074 से रास्ता चाहता है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्राथी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम दियास पटवार हल्का सातलियास की आराजी संख्या 1072, 1073 / 1224,1075 / 1 में आवागमन करने के लिऐ विपक्षीगण की आराजी संख्या 1074 की दक्षिणी व पूर्वि मेड से आवागमन करने के अलावा अन्य कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौका पर्चा रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी को अपनी कृषि भुमि आराजी नं0 1072, 1073 / 1224,1075 / 1 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ विपक्षीगण की आराजी संख्या 1074 की दक्षिणी पूर्वी मेड से 10 फीट चौडा रास्ता भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम दियास पटवार हल्का सातलियास की आराजी संख्या 1072, 1073/1224,1075/1 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नं0 1074 रकबा 0.33 हे0 में से दक्षिणी पूर्वी मेड पर रकबा 0.0225 हे0 भूमि कुल किता 01 रकबा 0.0225 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 303554/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 6830/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 13660/–प्रार्थी विपक्षीया खातेदार न. 1 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.0225 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 13660/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षीया नं0 1 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीया द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम दियास पटवार हल्का सातलियास की आराजी संख्या 1072, 1073/1224,1075/1 में आने जाने के लिए 10 फीट चौड़ा रास्ता यानी विपक्षीगण की आराजी नं0 1074 रकबा 0.33 हे0 में से दक्षिणी पूर्वी मेड पर रकबा 0.0225 हे0 भूमि कुल किता 01 रकबा 0.0225 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी गंगापुर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.08.21 16:01:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: